1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में पटवारी को 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *08 जून*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज मंगलवार को खींवसर, नागौर में कार्यवाही करते हुये श्रवण लाल पटवारी, पटवार हल्का खींवसर, नागौर को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के साथ कृषि भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में श्रवण लाल पटवारी, पटवार हल्का खींवसर, जिला नागौर द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर** एवं उनकी टीम द्वारा खींवसर, नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रवण लाल खुडीवाल पुत्र श्री सुगनाराम निवासी ग्राम थिरोद, तहसील व पुलिस थाना मुण्डवा, जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार हल्का खींवसर, जिला नागौर को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय आरोपी पटवारी के पास जामा तलाशी में 82 हजार रुपये बरामद हुये, जिनका श्रवण लाल द्वारा कोई संतोषनजक जवाब नहीं दिये जाने पर एसीबी द्वारा जप्त किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी श्रवण लाल पूर्व में भी वर्ष 2011 में भी ताड़ावास पदस्थापन के दौरान 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, जिसका एसीबी न्यायालय में विचारण चल रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।